भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3179
दिनांक 22 मार्च, 2022 / 01 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

तस्करी के मामले

†3179. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में हथियारों, नशीली दवाओं, तंबाकू उत्पादों आदि सहित विभिन्न वस्तुओं की तस्करी के मामले बढ़ रहे है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की राज्य-वार संख्या सहित सूचित किए गए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा तस्करी के मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)
(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2020 से संबंधित नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018, 2019 और 2020 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत अवैध/बिना लाइसेंस वाले हथियारों के संबंध में दर्ज किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में संलग्न है। वर्ष 2018, 2019 और 2020 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जब्तियों का ब्यौरा अनुलग्नक-।। में संलग्न है और वर्ष 2018, 2019 और 2020 में आयुध अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हथियारों की जब्ती का ब्यौरा अनुलग्नक-।।। में संलग्न है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान तम्बाकू उत्पादों की राज्य-वार जब्तियों का ब्यौरा अनुलग्नक-IV में संलग्न है।

(ग): सरकार नशीली दवाओं, हथियारों और तम्बाकू उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इनमें से कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं:-

लोक सभा अता. प्र.सं. 3179, दिनांक 22.03.2022

(i) सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा केंद्र और राज्यों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कार्यों का प्रभावी समन्वय करने के लिए वर्ष 2016 में नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की शुरुआत की है। इस तंत्र को वर्ष 2019 में 4 स्तरीय ढांचे में पुनर्गठित किया गया था:-

1) शीर्ष समिति (केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में)
2) कार्यकारी समिति (विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में)
3) राज्य स्तरीय समिति (संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में)
4) जिला स्तरीय समिति (जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में)।

(ii) भारत ने स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों एवं रासायनिक उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग से संबंधित 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15 समझौता ज्ञापनों और 02 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) मादक पदार्थों की राष्ट्र-पारीय तस्करी से निपटने हेतु सूचना और आसूचना को साझा करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि सार्क ड्रग ऑफेंसिज मॉनीटरिंग डेस्क (एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलम्बो प्लान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), आसियान सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), शंघाई काउंसिल कोऑपरेशन (एससीओ), यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आईएनसीबी) आदि के साथ समन्वय करता है।

(iv) आयुध अधिनियम, 1959 में आग्नेयास्त्रों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 19 से 25 के तहत विनियामक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य पुलिस प्राधिकारियों के अतिरिक्त, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को भी किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रखे गए/व्यापार किए गए हथियारों और गोलाबारूद की तलाशी तथा जब्ती करने की शक्ति प्रदान की गई है। आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आग्नेयास्त्रों की अवैध तस्करी के लिए दांडिक प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है। केंद्र सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं।

(v) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीन फील्ड फार्मेशन और राजस्व आसूचना महानिदेशालय वस्तुओं के अवैध आयात/तस्करी पर निरंतर नजर रखते हैं। मामलों का पता चलने पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और कानून के अन्य मौजूदा प्रावधानों, जैसा कि लागू है, के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 3179 दिनांक 22.03.2022

अनुलग्नक-I

वर्ष 2018, 2019 और 2020 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत अवैध/बिना लाइसेंस वाले हथियारों के संबंध में दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले			आयुध अधिनियम के अंतर्गत अवैध/बिना लाइसेंस वाले हथियारों के संबंध में दर्ज किए गए मामले		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	आंध्र प्रदेश	534	717	866	23	33	24
2	अरुणाचल प्रदेश	122	124	132	9	4	6
3	असम	478	841	983	224	223	241
4	बिहार	615	697	964	2566	2976	3166
5	छतीसगढ़	712	707	875	123	123	64
6	गोवा	222	218	147	4	7	9
7	गुजरात	150	289	308	497	528	546
8	हरियाणा	2587	2677	3060	1929	1995	2185
9	हिमाचल प्रदेश	1342	1439	1538	8	5	7
10	झारखंड	237	242	415	533	502	490
11	कर्नाटक	1030	1652	4054	59	73	88
12	केरल	8724	9245	4968	66	85	80
13	मध्य प्रदेश	1874	3432	3155	4113	3832	3246
14	महाराष्ट्र	12195	14158	4714	587	906	713
15	मणिपुर	381	338	304	16	18	28
16	मेघालय	81	117	76	17	3	14
17	मिजोरम	164	160	97	2	8	4
18	नागालैंड	66	142	115	78	72	91
19	ओडिशा	573	980	1179	359	92	11
20	पंजाब	11654	11536	6909	265	312	357
21	राजस्थान	1862	2592	2743	1909	2092	2458
22	सिक्किम	7	20	19	0	0	3
23	तमिलनाडु	3717	4329	5403	72	151	177
24	तेलंगाना	311	464	509	31	24	3
25	त्रिपुरा	431	316	307	10	8	3
26	उत्तर प्रदेश	8821	10198	10852	21549	25358	26305
27	उत्तराखंड	1064	1396	1282	823	1028	768
28	पश्चिम बंगाल	1479	1421	1626	1679	2280	1099
	कुल राज्य	**61433**	**70447**	**57600**	**37551**	**42738**	**42186**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49	133	55	0	0	0
30	चंडीगढ़	178	226	134	9	9	29
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	3	0	5	6	2	0
32	दिल्ली	507	712	748	1135	2252	2059
33	जम्मू और कश्मीर*	938	1173	1222	154	113	120
34	लद्दाख	-	-	2	-	-	0
35	लक्षद्वीप	8	4	4	0	0	0
36	पुदुचेरी	21	26	36	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**1704**	**2274**	**2206**	**1304**	**2376**	**2208**
	कुल (अखिल भारत)	**63137**	**72721**	**59806**	**38855**	**45114**	**44394**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

नोट: + पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

* लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े।

अनुलग्नक-II

वर्ष 2018, 2019 और 2020 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जब्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018			2019			2020		
		जब्त की गई नशीली दवाएं किग्रा. में	जब्त की गई नशीली दवाएं संख्या में	जब्त की गई नशीली दवाएं लीटर में	जब्त की गई नशीली दवाएं किग्रा. में	जब्त की गई नशीली दवाएं संख्या में	जब्त की गई नशीली दवाएं लीटर में	जब्त की गई नशीली दवाएं किग्रा. में	जब्त की गई नशीली दवाएं संख्या में	जब्त की गई नशीली दवाएं लीटर में
1	आंध्र प्रदेश	33930.522	0	0	66669.529	160	0	106042.775	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1869.208	874	0	1993.75	0	0	4032.54	0	0
3	असम	15485.596	163525	54346.2	17352.544	1604127	7377.658	9256.162	1138466	8554.8
4	बिहार	32442.97	20516	2053.46	5124.761	4910	675.26	13162.231	333	5933.7
5	छतीसगढ़	36785.864	127277	3457.72	19953.225	86079	1308.5	29743.484	96445	988.31
6	गोवा	79.469	0	0	85.215	2	0	149.542	0	0
7	गुजरात	12780.186	27126	0	14923.489	4200	0	13213.214	33030	894.325
8	हरियाणा	16233.507	727425	1257.723	16806.228	892131	36479.2	24695.602	1666911	2197.8
9	हिमाचल प्रदेश	1072.006	160609	496.1	1763.853	200386	970	3899.779	3210547	14
10	झारखंड	3463.958	1835	98.105	4073.335	3834	455.816	8830.645	4882	345.23
11	कर्नाटक	7489.246	2871	6	7800.718	1705	5	21729.793	12246	1.61
12	केरल	1378.325	21075	0.012	2548.475	5661	0	3060.459	1444	2.1
13	मध्य प्रदेश	3118721.42	629315	570.8	60864.128	40839	4260.01	58084.552	279760	13611.3
14	महाराष्ट्र	19764.338	143022	908.8	20622.717	3220	4191.712	28832.304	66027	519.1
15	मणिपुर	40275.137	347309	6.544	46378.744	393309	48.324	4533.641	1117388	5908.02
16	मेघालय	1417.747	69592	0	1281.983	36	79	989.816	4234	2
17	मिजोरम	250.791	100	0	991.189	0	0	617.735	470	13.28
18	नागालैंड	2819.686	47125	300	1732.271	260849	1.134	791.676	179373	76.6
19	ओडिशा	50759.897	1628	726	61993.835	0	1112.2	81847.001	0	0
20	पंजाब	50045.181	6397919	368.401	44239.07	10214701	1526.716	37364.676	44649858	4517.19
21	राजस्थान	111430.2	1215771	201.86	310732.428	1510447	206.2	148602.246	3285638	64.82
22	सिक्किम	15000	1040	5	16.798	0	0	50000.387	19	0
23	तमिलनाडु	12115.702	149032	0	28757.502	420	0	298785.294	5554	0
24	तेलंगाना	6054.095	0	0	13278.093	264	0	19708.291	509	150
25	त्रिपुरा	62674.611	643755	23017.8	15858.949	2156754	858528.82	14007.145	539241	10436.62
26	उत्तर प्रदेश	221760.042	306740	7172146.16	272197.319	1355373	10791849.82	327420.562	1401062	965896.17
27	उत्तराखंड	1609.563	117215	0	2073.105	52149	94	1848.326	450215	24
28	पश्चिम बंगाल	31079.905	15241	15692.604	36834.86	400747	21316.335	25509.802	363396	40627.132
	कुल राज्य	3908789.172	11337937	7275659.289	1076948.113	19192303	11730485.71	1336759.68	58507048	1060778.107
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67.963	0	0	121.999	11761	78.2	159.235	921	0
30	चंडीगढ़	51.709	5216	5.4	398.727	15098	2.4	95.953	5501	5.78
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	24.769	0	0	0	0	0	7.36	0	0
32	दिल्ली	6145.663	738256	1120	7895.937	1465832	3000	5483.247	123220	2558
33	जम्मू और कश्मीर*	19353.677	87713	7997.22	26517.388	164428	2133.3	27361.353	618361	40890.11
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0.65	0	0	0.466	0	0	0.936	0	0
36	पुदुचेरी	13.541	0	0	0	0	0	77.155	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	25657.972	831185	9122.62	34934.517	1657119	5213.9	33185.239	748003	43453.89
	कुल (अखिल भारत)	3934447.144	12169122	7284781.909	1111882.63	20849422	11735699.61	1369944.919	59255051	1104231.997

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

नोट: + वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

* वर्ष 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े।

लोक सभा अता. प्र. सं. 3179 दिनांक 22.03.2022

अनुलग्नक-III

वर्ष 2018, 2019 और 2020 में आयुध अधिनियम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हथियारों की जब्ती का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020
1	आंध्र प्रदेश	59	55	57
2	अरुणाचल प्रदेश	53	60	34
3	असम	323	335	365
4	बिहार	4160	3571	3742
5	छतीसगढ़	1025	873	581
6	गोवा	7	8	15
7	गुजरात	613	643	650
8	हरियाणा	2177	2185	2428
9	हिमाचल प्रदेश	23	17	29
10	झारखंड	736	782	705
11	कर्नाटक	126	142	170
12	केरल	211	203	136
13	मध्य प्रदेश	14227	14281	11388
14	महाराष्ट्र	1647	2606	2646
15	मणिपुर	66	45	99
16	मेघालय	96	7	27
17	मिजोरम	3	8	10
18	नागालैंड	106	102	121
19	ओडिशा	357	110	20
20	पंजाब	573	750	881
21	राजस्थान	7334	7130	5453
22	सिक्किम	0	0	3
23	तमिलनाडु	167	291	364
24	तेलंगाना	146	104	88
25	त्रिपुरा	20	16	11
26	उत्तर प्रदेश	34105	36913	37616
27	उत्तराखंड	1234	1218	835
28	पश्चिम बंगाल	2796	3718	1852
	कुल राज्य	72390	76173	70326
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0
30	चंडीगढ़	9	12	35
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	6	2	0
32	दिल्ली	2057	3954	3736
33	जम्मू और कश्मीर*	433	327	484
34	लद्दाख	-	-	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2505	4296	4255
	कुल (अखिल भारत)	74895	80469	74581

स्रोत: क्राइम इन इंडिया, एनसीआरबी

नोट: + वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

* वर्ष 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े।

अनुलग्नक-IV

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान तम्बाकू उत्पादों की राज्य-वार जब्ती का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019		2019-2020		2020-2021	
	सिगरेट (स्टिक की मात्रा सं. में)	अन्य तम्बाकू उत्पाद (मात्रा किग्रा. में)	सिगरेट (स्टिक की मात्रा सं. में)	अन्य तम्बाकू उत्पाद (मात्रा किग्रा. में)	सिगरेट (स्टिक की मात्रा सं. में)	अन्य तम्बाकू उत्पाद (मात्रा किग्रा. में)
आंध्र प्रदेश	71929	0	1896212	0	3035832	0
बिहार और झारखंड	74449227	269	7141362	785	2116589	5309
दिल्ली	78000	0	1756120	0	18715920	0
गुजरात	220440	0	25509	0	22000	0
कर्नाटक	6085336	0	3813840	0	418340	0
केरल	8199930	0	4806841	0	1351920	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	100420	0
महाराष्ट्र और गोवा	13454980	0	5869478	0	19261080	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	37032960	0	31228080	0	44429840	0
ओडिशा	13000	0	79800	0	194400	0
पंजाब	1549720	0	7362336	0	8257832	0
राजस्थान	9533920	0	16722640	0	4341400	0
तमिलनाडु	4162940	6237.48	9537514	4092.44	1377390	868.7
तेलंगाना	1377728	0	1640010	0	242200	0
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	8310880	0	7351760	0	22836080	0
पश्चिम बंगाल	5548646	0	10204760	0	10139768	0

स्रोतः सीबीआईसी